

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय


ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली-110001  
दिनांक: 11 जनवरी, 2016

**आदेश**

इस मंत्रालय के दिनांक 07.09.2012 के कार्यालय आदेश संख्या ए-46011/27/2012-प्रशासन-1 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निम्न अनुभागों में धारित पद सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार संवेदनशील माने गए हैं।

क्र. सं.	अनुभाग	महत्वपूर्ण माने गए पद
1.	सीएल-II	1. निदेशक/उप सचिव
2.	सीएल-III	2. अवर सचिव
3.	सीएल-VII	3. अनुभाग अधिकारी
4.	प्रशासन-II	4. सहायक अनुभाग अधिकारी
5.	सामान्य	5. वरिष्ठ सचिवालय सहायक
6.	सतर्कता	

2. यह आदेश सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किए जा रहा है।

  
(रियाजुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (एम)/ संयुक्त सचिव (बी)/संयुक्त सचिव (के)/ संयुक्त सचिव (एसी)/सभी जांच एवं निरीक्षण निदेशक/आर्थिक सलाहकार/सलाहकार (लागत) के कार्यालय
3. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग
4. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ को 'विविध' श्रेणी के अंतर्गत आदेश को अपलोड करने के लिए
5. फाइल संख्या ए-46011/27/2012-प्रशासन-1 के लिए प्रतिलिपि
6. गार्ड फाइल-2016